



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012022-232494
CG-DL-E-07012022-232494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]
No. 86]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 2022/पौष 17, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 2022/PAUSHA 17, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2022

का.आ.88(अ).— केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 के साथ पठित धारा 25 की उप-धारा (3), जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, इसके द्वारा एक्रिलोनिट्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में संशोधन करने के लिए वह निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश को एक्रिलोनिट्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 कहा जाएगा।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. एक्रिलोनिट्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में, पैरा 4 की सारणी को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस)	आईएस 17077:2019/ आईएसओ 19062-1: 2015	प्लास्टिक - मोल्डिंग और एक्सट्रूजन सामग्री के लिए एक्रिलोनिट्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) भाग 1 नामित प्रणाली और विनिर्देश के लिए आधार

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

नोट: मुख्य आदेश दिनांक 13 सितंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3927 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड ii में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2022

S.O.88(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with Sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Order, 2021, namely:-

1. **Short title, commencement and application.** — (1) This order may be called the Acrylonitrile- Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Acrylonitrile- Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Order, 2021, the Table in para 4, shall be substituted as under:

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)	IS 17077 :2019/ ISO 19062-1 : 2015	Plastic - Acrylonitrile - Butadiene styrene (ABS) Moulding and Extrusion Materials Part 1 Designation System and Basis for Specification

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principle order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii) vide notification number S.O. 3927 Dated 13th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2022

का.आ.89(अ).— केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 के साथ पठित धारा 25 की उप-धारा (3), जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, इसके द्वारा पॉलीयुरेथेनेस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में संशोधन करने के लिए वह निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** - (1) इस आदेश को पॉलीयुरेथेनेस (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 कहा जाएगा।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पॉलीयुरेथेनेस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में, पैरा 4 की सारणी को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलीयुरेथेनेस	आईएस 17397 (भाग 1): 2020/ आईएसओ 16365-1: 2014	प्लास्टिक – मोल्डिंग और एक्सट्रूजन सामग्री के लिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेनेस भाग 1 नामित प्रणाली और विनिर्देश के लिए आधार

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

नोट: मुख्य आदेश दिनांक 13 सितंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3931 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड ii में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2022

S.O.89(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with Sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Polyurethanes (Quality Control) Order, 2021, namely:-

1. **Short title, commencement and application.** — (1) This order may be called the Polyurethanes (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Polyurethanes (Quality Control) Order, 2021, the Table in para 4, shall be substituted as under :

Goods or articles	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyurethanes	IS 17397 (Part 1) : 2020/ ISO 16365-1 : 2014	Plastic – Thermoplastic Polyurethanes for Moulding and Extrusion Materials Part 1 Designation System and Basis for Specification

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note : The principle order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii) vide notification number S.O. 3931 Dated 13th September, 2021.